ऑन लाईन नं. RCMS 2025/108

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 27/2025

1. गुरप्रीत कौर पत्नी त्रिलोचन सिंह निवासी हाल पिण्ड कोणी तहसील गिदडवाहा जिला मुक्तसर साहब (पंजाब)।
2. अनमोलजीत कौर पत्नी गुरजीत सिंह निवासी हाल पिण्ड कोणी तहसील गिदडबाहा जिला मुक्तसर साहब (पंजाब)।
3. परमजीत कौर पत्नी गुरदीप सिंह निवासी चक फतेहसिंहवाला तहसील नथाना जिला बठिण्डा (पंजाब)।

—अपीलांट

बनाम

1. जगदीप सिंह पुत्र त्रिलोचन सिंह हाल निवासी पिण्ड कोणी तहसील गिदडबाहा जिला मुक्तसर साहब (पंजाब)।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार मिर्जेवाला जिला श्रीगंगानगर ।

— रेस्पोडेंटान

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 02.06.2025 न्यायालय उप तहसीलदार (भू0अ0) मिर्जेवाला जिला श्रीगंगानगर वसीयत इन्तकाल प्रकरण संख्या 109/2025 अनवानी जगदीप सिंह बनाम स्टेट जिसकी रूह में वसीयत दिनांक 14.10.2024 के आधार पर एकतरफा तौर पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया है को निरस्त करने हेतू।

उपस्थित :

1. श्री जीतपाल सिंह रौनी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री ऋषिपाल जोशी , रेस्पोडेन्टस संख्या 1

:: आदेश :: दिनांक :— 23.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि :—

1. यह कि अपीलांटस का स्थाई पता सीपीसी के अनुसार अपील शीर्षक में दर्ज है।
2. यह कि मातहात न्यायालय ने त्रिलोचन सिंह पुत्र बुटा सिंह के विधिक वारिसों को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के खिलाफ एकतरफा तौर पर उक्त आदेश पारित किया है। इसलिए उक्त आदेश दिनांक 02.06.2025 विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि तथाकथित वसीयत देखने से ही फर्जी लगती है, वसीयतनामा पंजाबी व हिन्दी में लिखा है। वसीयत को दो भाषाओं में लिखने की क्या आवश्यकता थी, कोई कारण दर्ज नही है। वसीयत में चक 7 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 8 में 506/4821 हिस्सा अंकित किया है जो कि जमाबंदी के अनुसार नही है जमाबन्दी में मुरब्बा नम्बर 8 व 9 संयुक्त खाते में है और ना ही मुरब्बा नम्बर 8 में दो बीघे रकबा है। इस प्रकार वसीयत कतई गलत है।
4. यह कि संयुक्त खाते में मुरब्बा नम्बर 8 के .506/4821 हिस्से की वसीयत की है जो कि मुरब्बा नम्बर 8 में किला नम्बर 21 की 0.253 हैक्टर ही दर्ज है वह भी संयुक्त खाते की

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

है जो बिना बंटवारे नहीं की जा सकती है, इस प्रकार की गई वसीयत गलत होने के कारण लागू नहीं की जा सकती है।

5. यह कि वसीयत देखने पर स्पष्ट पता चलता है कि यह त्रिलोचन सिंह के मरने के बाद मे तैयार की है, वसीयत के नीचे दो अंगुठे अंकित करने का कोई मतलब नहीं है। वसीयत केवल एक पेज पर ही है, वसीयत के गवाह साईड में हाथ से लिखे गये है। वसीयत देखने से ही संदेहास्पद लगती है।

6. यह कि वसीयत देखने पर पता चलता है कि वसीयत खाली कागजो पर तैयार की गई है। अंगुठा निशान किसका है यह भी अंकित नहीं है। गवाह हर्षविंदर सिंह रेसपोडेन्ट संख्या 1 का साला लगता है, दोनो गवाहो व रेसपोडेन्ट संख्या 1 से मिलकर व नोटेरी से मिलकर फर्जी वसीयत तैयार करवाई गई है।

7. यह कि मातहत न्यायालय में रेसपोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपना पता चक 8 एच बड़ा , श्रीगंगानगर दर्ज किया है जो कि गलत है, जबकि उसका पता अपील शीर्षक के अनुसार है, अपीलांट को इस प्रकरण के सम्बन्ध में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

8. यह कि मातहत न्यायालय ने जो सार्वजनिक सूचना जारी की है वह दिनांक 14.05.2025 को दैनिक भोर समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है , दैनिक भोर समाचार पत्र छपता ही नहीं है और ना ही प्रकाशन होता है। दैनिक भोर अपीलांटस के निवास स्थान के आस पास कहीं नहीं आता है, इसलिए मातहत न्यायालय को सार्वजनिक सूचना राष्ट्रीय अखबार में निकालनी चाहिए। इस प्रकार प्रकाशन सही न होने के कारण मातहत न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

9. यह कि त्रिलोचन सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई है। रेसपोडेन्ट संख्या 1 अपने साले से मिलकर त्रिलोचन सिंह की भूमि हड़पने के लिए उनके हॉस्पीटल में बेहोश होने का फायदा उठाते हुए अंगुठा निशानी करवाकर वसीयत तैयार की है। त्रिलोचन सिंह द्वारा अपनी होश में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की और ना ही किसी नोटरी के पास वसीयत हेतु उपस्थित हुए।

10. यह कि चक 7 एच बड़ा के खाता संख्या 19/70 के मुरब्बा नम्बर 8, 9 की कुल 4.821 हैक्टर में 0.506 हैक्टर त्रिलोचन सिंह के नाम से है व चक 9 एच बड़ा के खाता संख्या 29/51 के मुरब्बा नम्बर 2 की 1.417 हैक्टर नहरी भूमि की नोटरी के समक्ष तहरीर वसीयत दिनांक 14.10.2024 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये है जबकि वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 29.10.2024 को हुई है उसके द्वारा कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई।

11. यह कि अपीलांट संख्या 1 के पति तथा अपीलांट संख्या 2 व 3 के पिता त्रिलोचन सिंह को दिनांक 09.10.2024 को हार्ट अटैक हो गया था उन्हें ईलाज के लिए सर्वेश विद्या हॉस्पीटल कोणी में ईलाज के लिए लेकर गये थे उनके द्वारा त्रिलोचन सिंह को भर्ती कर लिया गया था, परन्तु त्रिलोचन सिंह को ब्रेन हेमरेज होने के कारण स्थिति अत्याधिक खराब हो गई जिसके कारण दिनांक 10.10.2024 को सिमरन न्यूरो हॉस्पीटल बठिण्डा में रेफर कर दिया गया, जहां त्रिलोचन सिंह दिनांक 27.10.2024 तक भर्ती रहे , उनके सिर में पानी चला गया था जो डाक्टरों द्वारा निकाला गया, लेकिन उन्हें अंत तक होश नहीं आया, फिर उन्हें दिनांक 27.10.2024 को सुखमनी हॉस्पीटल बठिण्डा में भर्ती करवाया गया जहां उनकी दिनांक 29.10.2024 मृत्यु हो गई थी। इसलिए दिनांक 14.10.2024 को वसीयत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

12. यह कि त्रिलोचन सिंह का सिमरन न्यूरो हॉस्पीटल में विडियो बनाया गया था जिसमें उनकी स्थिति के बारे में पता चलता है कि वह बेहोशी में है उन्हें कतई सुध-बुध नहीं है वह वसीयत करने की स्थिति में नहीं है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

13. यह कि त्रिलोचन सिंह के नाम से दर्ज भूमि चक 7 एच बड़ा के खाता संख्या 19/70 के मुरब्बा नम्बर 8, 9 की कुल 4.821 हैक्टर में 0.506 हैक्टर त्रिलोचन सिंह के नाम से है जो उसे अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है जो जद्दी जायदाद थी जिसमें अपीलांटस् का जन्म से अधिकार था। चक 9 एच बड़ा की भूमि जद्दी जायदाद भूमि की आय से खरीद की थी वैसे भी त्रिलोचन सिंह को जद्दी जायदाद भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

14. यह कि जब तक वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार साबित नहीं कर दिया जाता तब तक वसीयत के लाभार्थी को प्राकृतिक वारिसान के विरूद्व कोई हक नहीं मिल सकता। वसीयत के लाभार्थी को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करना चाहिये।

15. यह कि मातहत न्यायालय में वसीयत के जो गवाह है वह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का साला है। वसीयत मिलिभगत करके तैयार की गई है, जब तक वसीयत साबित नहीं हो जाती भूमि पर वारिसानों का कानूनन हक माना जाता है।

16. यह कि प्राकृतिक उत्तराधिकार को अधिमान्यता दी जानी चाहिय, इस सम्बन्ध में अनेको जजमेंटस है।

17. यह कि तहसीलदार द्वारा आदेश करते समय अपीलांटस को बिना सूचना दिये एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट के प्रार्थनापत्र पर इंतकाल आदेश से इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये है तथा अपीलांटस को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है।

18. यह कि तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण आदेश करते समय लेण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 133 से 135 की पालना नहीं की गई है। इसलिए इंतकाल आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

19. यह कि अपीलांटस इस आदेश से एग्रीवड व्यक्ति है तथा अपने पति/पिता माता की विधिक वारिस है। अपीलांटस के इस आदेश से हित प्रभावित होते है इसलिए अपीलांटस अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए अलग से 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है।

20. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 इस भूमि को आगे बेचान करने की कोशिश कर रहा है। बेचान करने की सूरत में अपीलांटस् को नापुरा होने वाला नुकसान हो रहा है जिसे रोकने के लिए अलग से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का दिनांक 02.06.2025 को निरस्त किया जावें तथा इस भूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया जावें।

अपील से संवंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपीलमीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने त्रिलोचन सिंह पुत्र बुटा सिंह के विधिक वारिसों को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के खिलाफ एकतरफा तौर पर उक्त आदेश पारित किया है। तथाकथित वसीयत देखने से ही फर्जी लगती है, वसीयतनामा पंजाबी व हिन्दी में लिखा है। वसीयत को दो भाषाओं में लिखने का कोई कारण दर्ज नही है। वसीयत में चक 7 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 8 में 506/4821 हिस्सा अंकित किया है जो कि जमावंदी के अनुसार नही है जमावन्दी में मुरब्बा नम्बर 8 व 9 संयुक्त खाते में है और ना ही मुरब्बा नम्बर 8 में दो बीघे रकवा है। संयुक्त खाते में मुरब्बा नम्बर 8 के 506/4821 हिस्से की वसीयत की है जबकि मुरब्बा नम्बर 8 में किला नम्बर 21 की 0.253

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टर ही दर्ज है। वह भी संयुक्त खाते की है जो बिना बंटवारे नहीं की जा सकती है, इस प्रकार वसीयत गलत होने के कारण लागु नहीं की जा सकती है। वसीयत त्रिलोचन सिंह के मरने के बाद में तैयार की है एवं वसीयत के नीचे दो अंगुठे अंकित करने का कोई मतलब नहीं है। वसीयत केवल एक पेज पर ही है, वसीयत के गवाह साईड में हाथ से लिखे गये है। वसीयत देखने से ही संदेहस्पद लगती है। उक्त वसीयत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपना पता चक 8 एच बड़ा , श्रीगंगानगर दर्ज किया है जो कि गलत है, जबकि उसका पता अपील शीर्षक के अनुसार है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो सार्वजनिक सूचना जारी की है वह दिनांक 14.05.2025 को दैनिक भोर समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है। दैनिक भौर समाचार पत्र छपता ही नहीं है और ना ही प्रकाशन होता है। दैनिक भोर अपीलांटस के निवास स्थान के आसपास कहीं नहीं आता है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को सार्वजनिक सूचना राष्ट्रीय अखबार में निकालनी चाहिए थी जिससे सूचना प्राप्त हो सकें। त्रिलोचन सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने साले से मिलकर त्रिलोचन सिंह की भूमि हड़पने के लिए उनके हॉस्पीटल में बेहोश होने का फायदा उठाते हुए अंगुठा निशानी करवाकर वसीयत तैयार की है। त्रिलोचन सिंह द्वारा अपने होश में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की और ना ही किसी नोटरी के पास वसीयत हेतु उपस्थित हुए। वसीयत दिनांक 14.10.2024 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये है जबकि वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 29.10.2024 को हुई है। अपीलांट संख्या 1 के पति त्रिलोचन सिंह को दिनांक 09.10.2024 को हार्ट अटैक हो गया था उन्हें ईलाज के लिए सर्वेश विद्या हॉस्पीटल कोणी में ईलाज के लिए लेकर गये थे उनके द्वारा त्रिलोचन सिंह को भर्ती कर लिया गया था, परन्तु त्रिलोचन सिंह को ब्रेन हेमरेज होने के कारण स्थिति अत्याधिक खराब हो गई जिसके कारण दिनांक 10.10.2024 को सिमरन न्यूरो हॉस्पीटल बठिण्डा में रेफर कर दिया गया, जहां त्रिलोचन सिंह दिनांक 27.10.2024 तक भर्ती रहे , उनके सिर में पानी चला गया था जो डाक्टरों द्वारा निकाला गया, लेकिन उन्हें अंत तक होश नहीं आया, फिर उन्हें दिनांक 27.10.2024 को सुखमनी हॉस्पीटल बठिण्डा में भर्ती करवाया गया जां उनकी दिनांक 29.10.2024 मृत्यु हो गई थी। इसलिए दिनांक 14.10.2024 को वसीयत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। त्रिलोचन सिंह के नाम से दर्ज भूमि चक 7 एच बड़ा के खाता संख्या 19/70 के मुरब्बा नम्बर 8,9 की कुल 4.821 हैक्टर में 0.506 हैक्टर त्रिलोचन सिंह के नाम से है जो उसे अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है जो जद्दी जायदाद थी जिसमें अपीलांटस् का जन्म से अधिकार था। चक 9 एच बड़ा की भूमि जद्दी जायदाद भूमि की आय से खरीद की थी वैसे भी त्रिलोचन सिंह को जद्दी जायदाद भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण आदेश करते समय लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 133 से 135 की पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का दिनांक 02.06.2025 को निरस्त किया जावें तथा इस भूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्न नजीरे पेश की :-

1. आर.आर.टी. 2017 (2) पेज– 1355 से 1358
2. आर.आर.टी. 2014 (1) पेज– 196 से 201

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत् है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय मिर्जेवाला द्वारा सभी पक्षकारों को सुनकर विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है। श्रीमान न्यायालय द्वारा वसीयत में पारित आदेश का निस्तारण किया जाना है ना कि वसीयत विधि सम्मत् है या नहीं का , क्योंकि वसीयत सही

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

है या गलत का निस्तारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जाता है। उक्त विवादित भूमि पर वसीयतकर्ता द्वारा लोन स्वीकृत करवाया हुआ था जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपने स्तर पर पूर्ण लोन भरा गया है लोन भरने के बाद अपीलांटा द्वारा अपने हिस्से को मांगने के लिए अपील लगाई गई है। वसीयत के सम्बन्ध में अपीलांटा को सिविल न्यायालय में दावा किया जाना चाहिए था जो आज दिनांक तक उसके द्वारा नहीं किया गया है। जहां तक उक्त विवादित भूमि अपीलार्थी द्वारा स्वयं अर्जीत नहीं होना कथन किया वह सत्य नहीं है क्योंकि वसीयतकर्ता त्रिलोचन सिंह द्वारा उक्त भूमि जरिये रजि0 बैयनामा से खरीद की हुई है क्योंकि वसीयतकर्ता द्वारा उक्त सम्पति अपनी सरकारी नौकरी के दौरान खरीद की गई थी ? स्वयं के द्वारा रजि0 बैयनामा से खरीदशुदा भूमि स्वयं अर्जित सम्पति होती है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध कराये गये अभिलेख का गहनता से अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत का निस्तारण करने से पूर्व अपीलार्थीया संख्या-1 गुरप्रीत कौर पत्नी त्रिलोचन सिंह को जरिये रजि0 नोटिस कमांक 153 दिनांक 13.05.2025 , अपीलार्थीया संख्या-2 अनमोलजीत कौर पत्नी गुरजीत सिंह को रजि0 नोटिस कमांक 152 दिनांक 13.05.2025 एवं अपीलार्थीया संख्या-3 परमजीत कौर पत्नी गुरदीप सिंह को रजि0 नोटिस कमांक 154 दिनांक 13.05.2025 जारी किया गया है एवं आम सूचना पत्र कमांक :-भू0अ0/25/148 दिनांक 13.05.2025 को जारी किया जाकर अखबार में साया करवाया गया है जिसकी आपत्ति एवं उपस्थिति हेतु तारीख पेशी दिनांक 30.05.2025 दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 30.05.2025 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई ना ही अपीलार्थीगण में से कोई उपस्थित हुए। उक्त वसीयत के निस्तारण से पूर्व गवाहो के बयान लिए जाकर एवं सम्बन्धित पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली जाकर दिनांक 02.06.2025 को उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जहां तक वसीयत सही है या नहीं ? के सम्बन्ध में निर्णय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है क्योंकि वसीयत सही है या गलत का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत प्रकरण का निस्तारण विधिवत् सुनवाई की जाकर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 में कोई वैधानिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप अपीलार्थिया की अपील अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 यथावत रखा जाता है आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर